	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साअधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	आश्विन 28, रविवार, *शाके* 1941–अक्टूबर 20, 2019 *Asvina 28, Sunday, Saka 1941–October 20, 2019*	

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर

अधिसूचना

जयपुर अक्टूबर 20,2019

संख्या एफ.10(क)(चुनाव)( )/डीएलबी/19/11278:–राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या 18 वर्ष 2009)की धारा 43 एवं राजस्थान नगर पालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 5 व 6 के क्रम में जारी विभागीय अधिसूचना क्रंमांक एफ 8(ग) नियम/चुनाव/एलएसजी/99/10334 दि. 30.10.99 एवं एफ.10(क) (चुनाव)( )/डीएलबी/14/2199–2306 दिनांकः 10.06.2019 के क्रम में 196 नगर निकायों में अध्यक्ष पदों का वर्गवार एवं महिला आरक्षण एक तिहाई के आधार पर किये जाने हेतु दिनांक 20.10.19 को सांय 4.30 बजे निदेशालय स्वायत शासन विभाग के मिटिंग हाल में शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग जयपुर की अध्यक्षता में विभिन्न राजनैतिक दलों के जनप्रतिनिधि, मीडिया कर्मियों एवं विभिन्न जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में लॉटरी का आयोजन किया गया। जिसमें जिसमें वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर विभागीय अधिसूचना क्रमांक प.10(क)चुनाव( )डीएलबी/19/1008 दिनांक 13.09.19 में वर्णित 193 नगरीय निकाय एवं विभागीय अधिसूचना क्रमांक प.10(क)(चुनाव)गठन/ श्रेणी/डीएलबी/19/10476 दिनांक 18.10.19, 10741 दिनांक 18.10.19 एवं 11001 दिनांक 18.10.19 द्वारा नवगठित नगर निगमों को शामिल करते हुए कुल 196 नगर निकायों के अध्यक्ष पदों का आरक्षण निम्न प्रकार किया गया है :–

1. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के अध्यक्ष पदो का आरक्षण नवगठित नगरीय निकायों को शामिल करते हुए समस्त राज्य की 196 नगर पालिका को जनसंख्या 2011 के आधार पर जो निकाय वर्ष 2014–15 में आरक्षित हो गई थी उन्हे अपवर्जित करते हुए अवरोही क्रम में रखकर अधिकतम जनसंख्या वाली नगर पालिकाओं को आरक्षित किया गया, जिनकी सूची निम्न प्रकार हैः–

(अ) अनुसूचित जाति के अध्यक्ष पद हेतु आरक्षित नगर पालिकाएंः–

क्र.सं.	नगर पालिका का नाम	प्रतिशत	क्र.सं.	नगर पालिका का नाम	प्रतिशत
1.	रूपवास	28.24	16.	सवाई माधोपुर	22.09
2.	बांदीकुई	26.28	17.	सादड़ी	21.75
3.	खाटुश्यामजी	26.05	18.	वैर	21.22
4.	भरतपुर	25.02	19.	सूरतगढ	20.53
5	अजमेर	24.76	20.	चाकसू	20.51
6.	खुडाला–फालना	24.37	21.	जालौर	20.59
7.	डेगाना	24.31	22.	ब्यावर	20.04
8.	भुसावर	24.24	23.	बाडी	19.86
9.	अनूपगढ	24.18	24.	देवगढ	19.63

10.	हिण्डौनसिटी	23.51	25.	कापरेन	19.55
11.	इन्द्रगढ	23.27	26.	नावां	19.50
12.	अकलेरा	23.08	27.	राजगढ (अलवर)	19.39
13.	बांरा	22.94	28.	पिलानी	19.38
14.	रावतसर	22.81	29.	केशोरायपाटन	19.36
15.	कोटा उत्तर	22.67	30.	राजलदेसर	19.34

उपर्युक्तानुसार अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित 30 नगर पालिकाओं में लॉटरी द्वारा महिला पदों हेतु आरक्षण उपरान्त संभागवार आरक्षण की स्थिति निम्न प्रकार हैः–

क्र.सं.	सम्भाग का नाम	कुल संख्या	अनुसूचित जाति वर्ग हेतु आरक्षित निकाय का नाम	कुल संख्या	अनुसूचित जाति वर्ग महिला हेतु आरक्षित निकाय	कुल संख्या
1.	जयपुर	5	चाकसू, राजगढ(अलवर), पिलानी	3	बांदीकुई, खाटूश्यामजी	2
2.	अजमेर	4	ब्यावर, नांवा, डेगाना	3	अजमेर	1
3.	जोधपुर	3	खुडाला–फालना, जालौर	2	सादडी	1
4.	कोटा	6	केशोरायपाटन, इन्द्रगढ, अकलेरा, कापरेन	4	कोटा–उत्तर, बारां	2
5.	बीकानेर	4	सूरतगढ, अनूपगढ, रावतसर	3	राजलदेसर	1
6.	भरतपुर	7	भरतपुर, भुसावर, सवाईमाधोपुर, हिण्डौनसिटी, वैर	5	बाडी , रूपवास	2
7.	उदयपुर	1	देवगढ	1		0
	योग	**30**		**21**		**9**

(ब) अनुसूचित जन जाति के अध्यक्ष पद हेतु आरक्षित नगर पालिकाएंः–

क्र.सं.	नगर पालिका का नाम	प्रतिशत	क्र.सं.	नगर पालिका का नाम	प्रतिशत
1.	परतापुरगढी	21.68	2.	माउण्ट आबू	18.92
3	कानोड	15.29	4.	कुशलगढ	12.83
5.	डूँगरपुर	11.49	6.	फतेहनगर	10.71

उपर्युक्तानुसार अनुसूचित जनजातियों की 06 निकायों में आरक्षण की स्थिति संम्भागवार निम्न प्रकार हैः–

क्र.सं.	सम्भाग का नाम	कुल संख्या	अनुसूचित जनजाति वर्ग हेतु आरक्षित निकाय का नाम	कुल संख्या	अनुसूचित जनजाति वर्ग महिला हेतु आरक्षित निकाय	कुल संख्या
1.	जयपुर	0		0		0
2.	अजमेर	0		0		0
3.	जोधपुर	1	माउण्ट आबू	1		0
4.	कोटा	0		0		0
5.	बीकानेर	0		0		0
6.	भरतपुर	0		0		0
7.	उदयपुर	5	कुशलगढ, डूंगरपुर, परतापुरगढी	3	कानोड, फतेहनगर	2
	योग	**6**		**4**		**2**

2. ओ.बी.सी. के अध्यक्ष पद के लिए आरक्षित नगर पालिकाओं में आरक्षण की संम्भागवार स्थिति निम्न प्रकार हैः–

क्र.सं.	सम्भाग का नाम	कुल संख्या	अन्य पिछडा वर्ग हेतु आरक्षित निकाय का नाम	कुल संख्या	अन्य पिछडा वर्ग महिला हेतु आरक्षित निकाय	कुल संख्या
1.	जयपुर	10	शाहपुरा (जयपुर), खैरथल, फतेहपुर–शेखावाटी, रींगस, उदयपुरवाटी, थानागाजी, मण्डावा,	7	जयपुर–हैरिटेज, जयपुर–ग्रेटर, महवा	3
2.	अजमेर	7	शाहपुरा(भीलवाडा), केकडी, गंगापुर(भीलवाडा) परबतसर, टोडारायसिंह,	5	विजयनगर, मालपुरा	2
3.	जोधपुर	5	बाडमेर, आबूरोड, बाली	3	पीपाडसिटी, पाली	2
4.	कोटा	4	नैनवां, मांगरोल, पिडावा	3	ईटावा	1
5.	बीकानेर	6	गजसिंहपुर, श्रीविजयनगर, पीलीबंगा, छापर,	4	चूरू, सादुलशहर	2
6.	भरतपुर	2	डीग	1	नदबई	1
7.	उदयपुर	5	उदयपुर, राजसमन्द, आमेट	3	प्रतापगढ, कपासन	2
	योग	**39**		**26**		**13**

3. अनारक्षित वर्ग के अध्यक्ष पद के लिए नगर पालिकाओं में महिला आरक्षण की संम्भागवार स्थिति निम्न प्रकार हैः–

क्र.सं.	सम्भाग का नाम	कुल संख्या	अनारक्षित वर्ग हेतु निकाय का नाम	कुल संख्या	अनारक्षित वर्ग महिला हेतु आरक्षित निकाय	कुल संख्या
1.	जयपुर	32	चौमू, सांभर, कोटपूतली, जोबनेर, अलवर, बगरू, किशनगढ–रेनवाल, खेडली, तिजारा, बहरोड, भिवाडी, सीकर, रामगढ–शेखावाटी, श्रीमाधोपुर, खण्डेला, बिसाऊ, नवलगढ, चिडावा, बग्गड, मुकुन्दगढ, लक्ष्मणगढ,	21	किशनगढबास, सूरजगढ, खेतडी, विद्याविहार, झुझुनूं, लोसल, नीमकाथाना, लालसोट, दौसा, फुलेरा, विराटनगर	11
2.	अजमेर	21	किशनगढ़, पुष्कर, निवाई, देवली, लाडनूं, मेडतासिटी, कुचामनसिटी, टोंक, कुचेरा, भीलवाडा, जहाजपुर, आसीन्द, गुलाबपुरा, माण्डलगढ	14	सरवाड, उनियारा, नागौर, मुण्डवा, डीडवाना, मकराना, नसीराबाद	7

3.	जोधपुर	17	फलौदी, जैसलमेर, पोकरण, सिरोही, शिवगंज, तख्तगढ, जैतारण, सांचौर, पिण्डवाडा, रानीखुर्द, बिलाडा	11	जोधपुर–उत्तर, जोधपुर–दक्षिण, बालोतरा, भीनमाल सोजतसिटी,सुमेर पुर,	6
4.	कोटा	11	कोटा–दक्षिण, रामगंजमण्डी, झालावाड, अन्ता, कैथून छबडा, भवानीमण्डी	7	झालरापाटन, बून्दी लाखेरी, सांगोद,	4
5.	बीकानेर	20	नोखा, देशनोक, श्रीडूंगरगढ, रतननगर, भादरा सरदारशहर, बींदासर, रतनगढ, तारानगर, रायसिंहनगर, श्रीकरणपुर, हनुमानगढ, संगरिया,	13	बीकानेर, पदमपुर, सुजानगढ, नोहर राजगढ(चूरू), केसरीसिंहपुर, श्रीगंगानगर,	7
6.	भरतपुर	9	बयाना, नगर, राजाखेडा, कुम्हेर,गंगापुरसिटी, टोडाभीम	6	धौलपुर, करौली, कामां	3
7.	उदयपुर	11	सलूम्बर, बांसवाडा, सागवाडा, चित्तौडगढ, बेंगू, निम्बाहेडा, बडीसादडी, नाथद्वारा	8	भीण्डर, रावतभाटा, छोटीसादडी	3
	योग	**121**		**80**		**41**

यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी। उपर्युक्तानुसार आरक्षण माह नवम्बर 2019 में चुनाव आयोजित होने वाली 49 नगर निकायों एवं शेष 147 निकायों जिनमें चुनाव वर्ष 2020–21 में होने है के लिए प्रभावी होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

डॉ. प्रवीण कुमार,

निदेशक एवं संयुक्त सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।